पत्रांक- 3ए-9-विविध-04/2019- **5547** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**03/07/2019**

विषयः- दिनांक-11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त वैसे कार्यभारित कर्मी जो नियमित हुए बिना ही कार्यभारित स्थापना में सेवानिवृत्त/मृत हो गए, को माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-10710, दिनांक-17/10/2013 द्वारा दिनांक- 11/12/1990 के पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त कर्मियों को नियमित स्थापना में लिए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प के अनुसार इसका लाभ उन कर्मियों को ही मिलेगा जो इस नीतिगत निर्णय संबंधी संकल्प निर्गत होने के बाद प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि को सेवा में हो। पुनः वित्त विभागीय संकल्प सं०-6151, दिनांक-03/08/2016 द्वारा वैसे कार्यभारित कर्मी, जो वित्त विभागीय संकल्प सं०-10710, दिनांक-17/10/2013 के सभी शर्त्तो को पूरा करते हो, परंतु संकल्प निर्गत होने की तिथि (17/10/2013) एवं प्रशासी विभाग द्वारा आदेश निर्गत के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/मृत हो जाते है, उन्हें भी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से नियमितिकरण का लाभ अनुमान्य किया गया।

2. दिनांक-11/12/1990 तक कार्यभारित स्थापना में नियुक्त तथा दिनांक-17/10/2013 के पूर्व कार्यभारित स्थापना से ही सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन दिये जाने हेतु कतिपय याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट आवेदकों को पेंशन का लाभ अनुमान्य किये जाने का आदेश पारित किया गया। सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-3300/17 (मधुसुदन मिश्रा) में दिनांक-21/07/2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Similarliy situated person को यदि पेंशन का लाभ दिया गया है तो रिट आवेदक को भी लाभ दिये जाने एवं इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध एल०पी०ए० दायर करने हेतु विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता द्वारा राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेने का परामर्श दिया गया।

3. एल०पी०ए० सं०-166/18 (मोबीना खातुन एवं अन्य) तथा एल०पी०ए० सं०-289/18 (सोनीया देवी एवं अन्य) में दिनांक-04.02.2019 को माननीय उच्च न्यायालय की

सम्पूर्ण पीठ (Full Bench) द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

70. For the aforesaid reasons, we deem it necessary and lawful to hold and declare the following that **till the time, appropriate rules in this regard is framed by the Government**:-

(i) That a work-charged employee who has completed ten (10) or more years of continuous service against one post in the work-charged establishment will be paid pension and his family, in case of death of such workcharged employee, would be paid the family pension.

(ii) The work-charged employees who have received regular scale of pay for ten (10) or more years on their retirement and after their death, their heirs and dependants would be entitled to claim death-cum-retiral benefits.

(iii) However, the dependants of a work-charged employee would not be entitled to claim appointment on compassionate ground in the absence of any scheme framed by the Government for such work-charged establishment.

4. न्यायालीय आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-05/03/2019 को एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुयी, जिसमें सभी कार्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव तथा विधि सचिव उपस्थित थे। इस कार्यवाही पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता की सहमति भी प्राप्त की गयी।

5. उच्चस्तरीय बैठक की अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त उल्लिखित न्यायादेश में सरकार से उपयुक्त नियमन की अपेक्षा के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते है:-

(i) वैसे कर्मी जो दिनांक-11/12/1990 को या उसके पूर्व कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुए हों तथा जिनकी सेवा संतोषप्रद रही हो और 10 वर्षो की लगातार कार्यभारित सेवा एक ही पद पर पूर्ण किये हों, परंतु दिनांक-17/10/2013 के पहले सेवानिवृत्त/मृत हो गये हों, तो उनकी सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि से कार्यभारित सेवा को नियमित करते हुए पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवान्त लाभ अनुमान्य किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों के पेंशन परिगणना हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-10710 दिनांक-17/10/2013 के समतुल्य प्रत्येक पाँच वर्ष की कार्यभारित सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा की मान्यता देते हुए पेंशन एवं ग्रेच्यूटी लाभ की गणना की जायेगी। इसके बावजूद यदि पुरानी पेंशन के तहत् पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा 10 वर्ष पूर्ण

नहीं हो तो उस हद तक न्यूनतम सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जायेगा।

(iii) उपकंडिका (i) एवं (ii) के कार्यभारित कर्मियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के लिए अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

(iv) जिन कार्यभारित कर्मियों के विरूद्ध सेवाकाल में कोई मुकदमा दायर किया गया हो या जिनके विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित भ्रष्टाचार के आरोप लंबित हो या जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो तथा सेवानिवृत्त हो गये हों, उन्हें पेंशन का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। परंतु यदि सेवाकाल में चल रहे मुकदमें/विभागीय कार्यवाही के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को परिवार पेंशन एवं सेवान्त लाभ दिया जा सकेगा।

(v) कार्यभारित स्थापना में सेवाकाल के दौरान मृत कार्यभारित कर्मी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) ऐसे सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों को ए०सी०पी० के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवा अवधि की गणना नहीं की जायेगी। परंतु दिनांक-01/01/2009 एवं दिनांक-17/10/2013 के बीच इस श्रेणी के सेवानिवृत्त/मृत कार्यभारित कर्मियों को एम.ए.सी.पी. के लाभ के प्रयोजनार्थ कार्यभारित सेवावधि की गणना की जा सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-04/2019-**5547/वि०** पटना, दिनांक-**03/07/2019**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-04/2019-**5547/वि०** पटना, दिनांक-**03/07/2019**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-9-विविध-04/2019-**5547/वि०** पटना, दिनांक-**03/07/2019**

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा-26/ सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।